पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (ख) के उपखण्ड (IV) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सूचना

विभाग द्वारा अपने कामकाज के लिये अधिकार हेतु निर्धारित मानदंड

इस मंत्रालय के कामकाज के लिये अधिकार में मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य पद्धति नियमावली (एमओपी) का अनुपालन किया जाता है। यह मंत्रालय, जहाँ भी लागू हो, कार्य के विभिन्न मद्दत के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों/संगठनों अथवा वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कार्यक्रम, लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, केंद्रीय सत्ता आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय आदि द्वारा निर्धारित मानदंडों का भी पालन करता है।